

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी -डॉ० साधना शर्मा, आरए०ए०एस०

प्रकरण संख्या-33/2023

जीसीएमएस पोर्टल नम्बर:- 2023/275

उनवान:-

होतम सिंह उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र स्व० श्री भूरी सिंह जाति लोधा निवासी ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर

.....वादी

बनाम

1. जादौ सिंह पुत्र नारायन सिंह
2. भगवान सिंह पुत्र भूरी सिंह
3. मुरारी पुत्र नारायन सिंह
4. मोती पुत्र नारायन सिंह
5. राजनदेई पत्नी नथोलीराम
6. शेर सिंह पुत्र नथोलीराम
7. सूखाराम पुत्र नथोलीराम
8. समस्त जातिगण लोधा निवासीगण लुहारी तहसील व जिला धौलपुर

..... प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 12-8-25

निर्णय

वादी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 25.05.2023 को एक राजस्व वाद बाबत बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 21.03.2025 को प्रारंभिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक 07.07.2025 विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार धौलपुर के द्वारा प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने



2
उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया तथा तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी बांके ग्राम लुहारी पटवार हल्का लुहारी तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकवा (है०)
1	भगवान सिंह पुत्र भूरीसिंह हि. पूर्ण जाति लोधा सा. देह खातेदार	1288 / 1	0.1581
		1322 / 1	0.0758
		766 / 1	0.1771
		930 / 1	0.0442
		936 / 1	0.1897
		1366 / 2	0.2307
		724 / 1	0.1075
2	होतमसिंह पुत्र भूरीसिंह हि. पूर्ण जाति लोधा सा.देह राहिन केनरा बैंक शाखा कचहरी रोड धौलपुर	1288 / 2	0.1580
		1322 / 2	0.0759
		766 / 2	0.1770
		930 / 2	0.0443
		936 / 2	0.1897
		1366 / 1	0.2307
		724 / 2	0.1074
3	जादौसिंह, मुरारीलाल, मोतीराम पुत्रगण नारायन सिंह हि.व. 3/4 राहिन केनरा बैंक शाखा धौलपुर II, शेर सिंह सूखा पुत्रान नथोलीराम हि.व. 5/6, राजनदेई पत्नि नथोली हि. 1/6 जाति लोधी सा. देह खातेदार	1366 / 3	0.4615
		724 / 3	0.2149



2
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)

रहन के इन्द्राज बदस्तुर कायम रहेगे। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर हस्व जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.6.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)